संख्या–06 / सा0सु0बी0एल0(जागरूकता)–305 / 2010– 352

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा)

प्रेषक,

विष्णु कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखंड।

राँची, दिनांक-...6..../...8../2010

विषयः– बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम–1976 की धारा–13 के आलोक में जिला / अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजनान्तर्गत बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम–1976 (अधिनियम–19 / 1976 के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–10 के अन्तर्गत आपको अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पूर्व में ही शक्ति प्रदत्त की जा चुकी है।

इस अधिनियम की धारा–11 के अन्तर्गत उपायुक्तो एवं उनके द्वारा धारा–10 के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारियों का दायित्व है कि विमुक्त बंधुआ मजदूरों की आर्थिक एवं अन्य हितों का संरक्षण दिलाये जिससे उनके पुनः बंधुआ कर्ज में फसने की संभावना नहीं रहे। धारा–12 के अन्तर्गत आपका यह भी दायित्व है कि आप अपने जिले में यह पता लगायें कि किसी क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी प्रथा चलन में है या नहीं तथा इस तरह के मामले के प्रकाश में आने पर त्वरित कार्रवाई करे।

धारा–13 के आलोक में आप अपने अधीनस्थ गठित जिला एवं अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों को बंधुआ मजदूरों की पहचान, विमुक्ति एवं पुनर्वास संबंधी दिशा निर्देश एवं अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत निगरानी समिति को दिये गए दायित्वों का पालन करने का निर्देश दें और उन्हें अधिनियम के प्रावधानों से अवगत करायें। आपसे यह भी अनुरोध है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों का वृहत प्रचार–प्रसार कराये तथा इसकी जानकारी लोगों को देने के लिए कार्यशाला का आयोजन करवायें। इस पत्र के साथ बंधुआ मजदूर (उन्मूलन) अधिनियम–1976 की धारा–10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 की छाया प्रति संलग्न है।

उपर्युक्त दिशा निर्देशों के आलोक में किये गये कार्यकलापों से अधोहस्ताक्षरी को भी शीघ्र अवगत करायें।

अनुलग्नक– बंधुआ मजदूर (उन्मूलन) अधिनियम–1976 की धारा–10,11,12,13,14 एवं 15 की छाया प्रति।

विश्वासभाजन

(विष्णु कुमार)
प्रधान सचिव।